दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षितः मई 08, 2023

उदघोषित: मई 31, 2023

<u>आ.प्र.अ. (वाणि.) 201/2021 और सि.वि.आ.45018/2021 और 11665/2023</u>

टाटा एस.आई.ए. एयरलाइंस लिमिटेड

..... अपीलार्थी

द्वाराः श्री राजशेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुश्री कृतिका विजय, श्री आदित्य गुप्ता और श्री मुकुल कोचर,

अधिवक्तागण।

बनाम

विस्तारा होम अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

श्री चंदर एम. लाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुश्री कनिका सिन्हा, सुश्री गुंजन गुप्ता और सुश्री मैत्रेयी जोशी, अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ बनर्जी

<u>निर्णय</u>

न्या., सौरभ बनर्जी


1. वर्तमान अपील वह है जिसके तहत अपीलकर्ता (मूल वादी) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को पारित आदेश को खारिज करने की मांग किया है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 सहपठित आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत प्रत्यर्थीगण (मूल प्रतिवादी) के खिलाफ ट्रेडमार्क से ध्यान बँटाने और अन्य सहायक राहतों के उल्लंघन के वाद में उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

विद्वान विचारण न्यायलय के समक्ष अपीलकर्ता का मामला:

2. तथ्यों के अनुसार, अपीलकर्ता टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो अपने ट्रेडमार्क 'विस्तारा'के तहत एक पूर्ण सेवा एयरलाइन का संचालन करता है, जो विचारण न्यायालय के समक्ष वाद संस्थित करने की तिथि तक एक दिन में 200 से अधिक उड़ानों के साथ 36 गंतव्यों को कवर करता है। अपीलकर्ता का उक्त ट्रेडमार्क "विस्तार", टाटा एस.आई.ए. एयरलाइंस लिमिटेड बनाम मैंसर्स पायलट18 एविएशन बुक स्टोर और अन्य मामले में इस न्यायालय द्वारा ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 की धारा 2(1)(यछ) के अनुसार "प्रसिद्ध ट्रेडमार्क" के रूप में घोषित होने के बाद से, कानून के तहत उच्च स्तर की सुरक्षा का हकदार है। अपीलकर्ता अपने ट्रेडमार्क 'विस्तारा' के विज्ञापनों और बिक्री-वर्धन पर भारी मात्रा में खर्च करके अपनी वेबसाइट 'www.airvistar.com' और

मोबाइल ऐप के द्वारा यात्रा और आतिथ्य उद्योग में अपनी सेवाएं दे रहा है। अपीलकर्ता को ट्रेडमार्क 'विस्तार' के तहत अपनी व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सेवाओं के लिए विभिन्न प्रस्कार भी मिले हैं।

अपीलकर्ता ने 11 अगस्त, 2014 को ट्रेडमार्क "विस्तार" को अपनाया, इसे संस्कृत शब्द 'विस्तार' से लिया गया जिसका अर्थ है "संभावनाओं का असीम विस्तार" और तब से इसका व्यापक और निर्बाध रूप से उपयोग किया है। ट्रेडमार्क 'विस्तारा', स्वेच्छित होने के कारण, अपीलकर्ता के उत्पादों और सेवाओं से अलग है। भारत में, अपीलकर्ता ने समय-समय पर वर्ग 12, 39, 16, 21, 25, 27, 28, 18, 9, 35, 39, 43 और 45 में ट्रेडमार्क 'विस्तारा' (शब्द और लोगो) का पंजीकरण प्राप्त किया है, सबसे पहले 2 जून, 2014 को ट्रेडमार्क 'विस्तारा' (शब्द) के लिए वर्ग 12 और 39 में टीएम संख्या 2748039 था। दिलचस्प बात यह है कि भले ही बाद में एक तीसरा पक्षकार भी वर्ग 39 में उसी ट्रेडमार्क 'विस्तारा'का मालिक बन गया, हालांकि, प्रत्यर्थीगण दवारा दावा किए गए उपयोगकर्ता की तारीख से पहले 11 फरवरी, 2016 को अपीलकर्ता को सद्भावना के साथ इसे सौंपा दिया गया। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता ने अपने ट्रेडमार्क 'विस्तारा' का पंजीकरण भी द्निया भर के विभिन्न अधिकार-क्षेत्र में ऊपर उल्लिखित लगभग सभी वर्गों में प्राप्त किया है। प्रत्यर्थी सं. 1 भारत के कानूनों के तहत विधिवत निगमित कंपनी है और प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 इसके निदेशक हैं। अपीलकर्ता को सितंबर 2020 में प्रत्यर्थीगण की वेबसाइट "www.vistarahome.com" को देखने पर पता चला कि प्रत्यर्थी सं. 1 अपने ट्रेडमार्क 'विस्तारा'का उपयोग अपने कॉर्पोरेट नाम '<u>विस्तारा</u> होम अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड' के रूप में कर रहा था; इसके डोमेन नाम के रूप में "www.<u>vistara</u>home.com" और



के उपयोग का झूठा दावा करने वाले प्रत्यर्थीगण ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से पहले वर्ग 7, 9 और 11 में इसके पंजीकरण के लिए भी आवेदन किया था।

5. अपीलकर्ता ने दिनांक 9 सितंबर, 2020 के अपने कानूनी नोटिस के बाद 16 मार्च, 2021 के स्मरण नोटिस के द्वारा प्रत्यर्थीगण से ट्रेडमार्क 'विस्तारा' के उल्लंघन और जारी करने के अपने कृत्यों को बंद करने और रोकने का आह्वान किया। उचित प्राप्तियों के बावजूद प्रत्यर्थीगण द्वारा उनमें से किसी से भी उत्तर नहीं मिलने के कारण ट्रेडमार्क के उल्लंघन, ध्यान बँटाने के लिए अपीलकर्ता द्वारा मई 2021 में वाद संस्थित किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट नामों का उपयोग करने या पंजीकरण करने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करने और/या किसी भी सामान या सेवाओं की पेशकश करने वाले विज्ञापन द्वारा ध्यान बँटाने के विरुद्ध स्थायी व्यादेश डिक्री की मांग की गई, डोमेन





नाम या ट्रेडमार्क विस्तारा

का उपयोग करते हुए किसी अन्य तरीके से, और डोमेन नाम www.vistarahome.com और/या कोई भी चिहन जो भ्रामक रूप से अपीलकर्ता के ट्रेडमार्क और/या फॉर्मेंटिव मार्क, खातों का प्रतिपादन, सुपुर्दगी और विद्वान विचारण न्यायलय के समक्ष प्रत्यर्थीगण के खिलाफ नुकसान के समान है। अपीलकर्ता के अनुसार, प्रत्यर्थीगण द्वारा घरेलू उपकरणों के लिए आक्षेपित चिहन विस्तारा (चिहन) का उपयोग करने का अनुचित लाभ जनता के मन में भ्रम पैदा कर रहा है और इससे अपीलकर्ता के व्यवसाय और साख को अपूरणीय क्षति और नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा, टाटा संस, अपीलकर्ता के 51% बहुमत शेयरधारक, स्वयं विभिन्न प्रकार के एफ.एम.सी.जी. उत्पादों, उपकरणों और घरेलू सामानों की पेशकश करने वाले उद्योग में अग्रणी है। प्रत्यर्थीगण द्वारा आक्षेपित चिहन विस्तारा (चिहन) को

अपनाना बिना किसी औचित्य के है और इस प्रकार, इसका उपयोग बेईमानी है और यह अपीलकर्ता के ट्रेडमार्क 'विस्तारा' को कम करने और क्षरण की ओर ले जा रहा है।

विद्वान विचारण न्यायलय के समक्ष प्रत्यर्थी का मामला:

प्रत्यर्थीगण ने वाद और अंतरिम आवेदन में समन तामील किए जाने के 6. बाद, बिना लिखित बयान के अंतरिम आवेदन पर अपना जवाब दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने वर्ग 7, 9 और 11 में आक्षेपित चिह्न विस्तारा (चिह्न) के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और अपीलकर्ता न तो ट्रेडमार्क 'विस्तारा' का उपयोग कर रहा है और न ही उक्त वर्गों में आने वाले उत्पादों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। यह तथ्य कि अपीलकर्ता ने वर्ग 7, 9 और 11 को छोड़कर अन्य वर्गों में अपने ट्रेडमार्क 'विस्तारा'का पंजीकरण किया है, यह दर्शाता है कि उन वर्गों में ट्रेडमार्क 'विस्तारा' का उपयोग करने का उसका कोई आशय नहीं है। इसके अलावा, कोई भ्रम नहीं हो सकता है क्योंकि विस्तारा एक शब्दकोश का शब्द था और प्रत्यर्थी सं. 1, 2015 से एक कंपनी के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से, "... ... विभिन्न अनुबंधों में प्रवेश किया है और बह्त गहरे व्यापार चैनल और व्यापार नेटवर्क स्थापित किए हैं और "प्रसिद्धि सृजन" और "व्यापक निवेश" भी किया है। नतीजतन, व्यवसाय "कई गुना बढ़ गया है" और यदि प्रत्यर्थीगण को विस्तारा

चिह्न VISTARA के निगमन के पांच साल से अधिक समय के

बाद का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है, तो यह उनके लिए विनाशकारी होगा जिससे ग्राहकों, व्यापार चैनलों और संचालन के उद्योग को नुकसान होगा क्योंकि घरेलू उपकरण खंड बहुत प्रतिस्पर्धी है जिसके लिए उन्हें कभी भी पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण के अनुसार, अपीलकर्ता का ट्रेडमार्क 'विस्तारा' एक "प्रसिद्ध चिहन" नहीं था, जब प्रत्यर्थी सं. 1 ने वर्ष 2015 में अपने ट्रेडनेम के रूप में विवादित चिहन विस्तारा (चिहन) का उपयोग करना शुरू किया था या बाद में वर्ष 2016 में इसके ट्रेडमार्क के रूप में या हाल ही में 2018 से इसके डोमेन नाम "www.vistarahome.com" के रूप में उपयोग किया गया था और लेकिन घोषित वर्ष 2019 में किया गया था।

7. प्रत्यर्थीगण ने स्पष्ट रूप से आक्षेपित अंतिरम आवेदन के अपने जवाब में प्रस्तुत किया "... खुद बहुत सतर्क हैं और वे वादी के साथ भ्रमित होने के लिए अपनी चिहन नहीं रखे हैं, यही कारण है कि उन्होंने पूरी तरह से अलग तरीके से अपने चिहन को व्यक्त किया है" एक अलग रंग संयोजन, अक्षर, लेखन की शैली, संरचना और अपीलकर्ता के आक्षेपित चिहन





के समग्र निरूपण को चुनने में। प्रत्यर्थीगण के अनुसार, विस्तारा न तो गढ़ा हुआ शब्द है और न ही आविष्कृत शब्द है, बल्कि संस्कृत और अन्य भाषाओं में पाया जाने वाला शब्द है और आमतौर पर शब्दकोश में पाया जाता है। इसके अलावा, वर्ग 3, 10, 14 और 17 में कई अन्य विस्तारा अंक उपयोगकर्ता थे। प्रत्यर्थीगण ने ईमानदारी से विवादित चिहन विस्तारा को अपनाया और तब से एक ईमानदार और सहवर्ती उपयोगकर्ता रहे हैं। इसके अलावा, ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के समक्ष एक पूछताछ रिपोर्ट के जवाब में अपीलकर्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर भरोसा करते हुए, जो तीसरे पक्ष से संबंधित ट्रेडमार्क "विस्तार" के संबंध में, यह कहा गया है कि उक्त चिहन "विस्तार" अपीलकर्ता के प्राथमिक व्यवसाय से पूरी तरह से अलग सेवाओं के संबंध में दायर किया गया था क्योंकि इसकी "... नियोजित सेवाएं पट्टे पर लिए गए विमानों और उड़ान प्रचालनों तथा उनसे संबंधित सभी सहायक सेवाओं में ब्रांड विस्तारा के अंतर्गत हैं और इसकी सभी गतिविधियां पूर्णतः उक्त सेवाओं से संबंधित होंगी ..." प्रत्यर्थीगण के अन्सार, अपीलकर्ता को इसके विपरीत कुछ भी तर्क देने से रोका गया है। प्रत्यर्थीगण के अन्सार, जैसा कि उन्होंने अपीलकर्ता के बाद एक वर्ष के भीतर आक्षेपित चिहन विस्तारा (चिहन) का संचालन श्रू किया, उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है और आगे क्योंकि वे अपीलकर्ता के उन सामानों से पूरी तरह से असंबंधित माल में काम कर रहे हैं और वे टीएम अधिनियम की धारा 29 के अनुसार अनिधकृत उपयोगकर्ता नहीं हैं।

आक्षेपित आदेश:

शामिल तथ्यों के आधार पर और पक्षकारगण को स्नने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के तर्क से सहमति व्यक्त की कि वह 2014 से ट्रेडमार्क 'विस्तारा' को अपनाने और निर्बाध रूप से व्यापक उपयोग करता रहा है और यात्रा सेवाओं के संबंध में यह स्वेच्छित और स्वाभाविक रूप से विशिष्ट है, भले ही यह एक संस्कृत शब्द 'विस्तार' है जिसका अर्थ असीम विस्तार है। किसी तृतीय पक्ष को पहले से पंजीकृत ट्रेडमार्क 'विस्तार' के संबंध में ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के समक्ष दिए गए प्रस्त्तीकरण के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायलय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधि के विरुद्ध कोई स्थगन नहीं है और अपीलकर्ता को अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग करने से केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि इसने ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के समक्ष एक निश्चित रुख अपनाया था, इस तथ्य को अधिक महत्व दिया कि प्रत्यर्थीगण का आक्षेपित चिहन विस्तारा 2016 से पंजीकृत है। इसी तरह, विद्वान विचारण न्यायलय, हालांकि दो प्रतिस्पर्धी चिहनों के बीच "... बह्त असमानता....." नहीं पाया क्योंकि दोनों में "... ... ध्वन्यात्मक समानता है", लेकिन जैसा कि उनका उपयोग विभिन्न वर्गों के वस्त्ओं में किया जाता है और विभिन्न ग्राहकों को को प्रदान किया जाता है, प्रत्यर्थीगण के खिलाफ कोई व्यादेश नहीं दी गई है, क्योंकि अपीलकर्ता की साख और प्रसिद्धि को भुनाने के प्रत्यर्थीगण की बह्त कम संभावनाएं थीं। हालांकि विद्वान विचारण न्यायलय ने अपीलकर्ता को ट्रेडमार्क 'विस्तारा' को पूर्व अपनाने वाला पाया,

हालांकि, इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि प्रत्यर्थीगण द्वारा आक्षेपित चिहन विस्तारा को अपनाने के समय यह "प्रसिद्ध चिहन" नहीं था।

विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा परिश्रमपूर्वक उठाए गए 9. विभिन्न कदमों पर ध्यान देने के बाद, यह माना कि अपीलकर्ता की ओर से कोई देरी, रोक और सहमति नहीं थी क्योंकि उसने अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क 'विस्तारा' पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा था। इसी तरह, हालांकि *क्लिनिक* लेबोरेटरीज एलएलसी और अन्य पर भरोसा करते ह्ए। जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि टी.एम. अधिनियम की धारा 31 के तहत एक पंजीकृत मालिक द्वारा संस्थित वाद दूसरे (बाद में) पंजीकृत मालिक के खिलाफ पोषनीय है, हालांकि, विदवान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को कोई लाभ नहीं दिया क्योंकि प्रत्यर्थीगण द्वारा बाद में पंजीकरण प्रथम दृष्टया न तो अमान्य था और न ही रद्द किया गया था, क्योंकि वर्ग 7, 9 और 11 में प्रत्यर्थी सं. 1 के आक्षेपित चिह्न विस्तारा (चिह्न) के पंजीकरण के लिए न कोई आपत्ति और न ही 2018 से प्रत्यर्थीगण की "www.vistarahome.com" के उपयोग पर आपत्ति दर्ज की गई थी और जैसा कि प्रत्यर्थी असंबंधित वस्त्ओं के लिए उक्त आक्षेपित चिहन का उपयोग कर रहे थे। विद्वान विचारण न्यायलय ने अभिनर्धरित किया कि चूँकि टी.एम. अधिनियम किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क के किसी पंजीकृत मालिक को किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क के किसी अन्य पंजीकृत मालिक के खिलाफ कार्रवाई श्रू

करने से रोकता या प्रतिबंधित नहीं करता है, उसी तरह, अदालतें भी इसमें कोई अंतरिम राहत देने के लिए स्वतंत्र हैं।

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने हालांकि यह पाते ह्ए कि टी.एम. अधिनियम की धारा 2(1) (यछ) के तहत 'प्रसिद्ध चिहन' के रूप में घोषित किए जाने के बाद से अपीलकर्ता का ट्रेडमार्क 'विस्तारा'उच्चतम स्तर की स्रक्षा का हकदार है, अभिनिर्धारित किया कि यह प्रासंगिक नहीं था क्योंकि इसे वर्ग 7 9 और 11 में प्रत्यर्थीगण के आक्षेपित चिहन विस्तारा (चिहन) के पंजीकरण के बाद ही घोषित किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहा था। इसने आगे अभिनिधीरित किया कि चूंकि विस्तारा एक आविष्कार किया गया शब्द नहीं है और इसका एक शब्दकोश अर्थ है, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा इसका एकाधिकार नहीं किया जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने तब माना कि चूंकि प्रत्यर्थीगण ने वर्षों से विभिन्न अन्बंधों में प्रवेश किया है और गहरे व्यापार चैनल और व्यावसायिक नेटवर्क स्थापित किए हैं और कई आश्रित कर्मचारी हैं, वे ग्राहकों, व्यापार चैनलों और संचालन के उद्योग को खो देंगे क्योंकि घरेलू उपकरण खंड बह्त प्रतिस्पर्धी है। इसलिए, *नंदिनी डीलक्स* बनाम कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पाद फेडरेशन लिमिटेड और प्रीतिकिरण राजेंद्र कटोले बनाम हर्षा रवींद्र कटोले पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आम जनता के मन में भ्रम की कोई संभावना नहीं हो सकती है और प्रत्यर्थीगण के खिलाफ ध्यान बँटाने का कोई मामला नहीं बनाया गया था और

उन्होंने "... एक चिहन अपनाया है जिसका शब्दकोषीय अर्थ है" और एक बार फिर तीसरे पक्ष के नाम पर पहले से पंजीकृत ट्रेडमार्क 'विस्तार' के संबंध में ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दिए गए बयान के बारे में।

11. तदनुसार, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलकर्ता की साख और प्रसिद्धि को भुनाने के लिए आक्षेपित चिहन विस्तारा को अपनाया गया था या वे ध्यान बंटाने में लिप्त थे या भ्रम की कोई संभावना थी। टी.एम. अधिनियम की धारा 12 के बल पर विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी माना कि प्रत्यर्थीगण वर्ग 7, 9 और 11 में आने वाले सामानों के लिए उक्त आक्षेपित चिहन विस्तारा का उपयोग करने के हकदार थे क्योंकि ग्राहक, व्यापार चैनल और दोनों पक्षकारगण के संचालन उद्योग अलग-अलग/ असंबंधित हैं, उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके अलावा, दोनों पक्षकारगण को ट्रेडमार्क 'विस्तार' के पंजीकृत मालिक मानते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया।

इस न्यायालय के समक्ष अपील की कार्यवाही:

12. अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील को काफी हद तक उन्हीं तर्कों को उठाते हुए प्राथमिकता दी है जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उठाए गए हैं। बहस के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान विरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए एक उद्धरण

की ओर आकर्षित करने के बाद, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रत्यर्थी एक 'श्याम समूह' से संबंधित थे, ने तर्क दिया कि इससे पता चलता है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा आक्षेपित चिहन "विस्तारा" को अपनाना और उसके बाद प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा प्राप्त पंजीकरण दुर्भीवनापूर्ण है जैसा कि कहा गया है 'श्याम ग्रुप' का अपीलकर्ता के ट्रेडमार्क 'विस्तारा' से कोई संबंध नहीं था।

13. फिर, इस न्यायालय का ध्यान *क्लिनिक (पूर्वोक्त), इंडियन होटल्स कंपनी* लिमिटेड बनाम अश्वजीत गर्ग और डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम अलका आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड की ओर आकर्षित करते हुए, यह तर्क दिया गया था कि चूंकि प्रत्यर्थीगण द्वारा टी.एम. अधिनियम की धारा 9 और 11 के तहत आक्षेपित चिहन "विस्तारा" का पंजीकरण अवैध रूप से प्राप्त किया गया था, इसलिए न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में आक्षेपित चिहन विस्तारा के पंजीकरण के बावजूद, उन्हें रोकने वाले किसी भी अंतर्वर्ती आदेश को पारित करने की शक्ति है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि, बेशक, अपीलकर्ता ट्रेडमार्क 'विस्तारा' का पूर्व अपनाने वाला और उपयोगकर्ता है, जिसे तब से 'प्रसिद्ध चिहन' के रूप में घोषित किया गया है और जब से प्रतिस्पर्धी चिहन ध्वन्यात्मक रूप से एक-दूसरे के समान हैं और यह भी कि विदवान विचारण न्यायालय से संपर्क करने में कोई देरी, रोक या सहमति नहीं थी।

14. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने म्ख्य रूप से तर्क दिया कि टाटा एस.आई.एस एयरलाइंस लिमिटेड (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा ट्रेडमार्क 'विस्तारा' की 'प्रसिद्ध चिहन' के रूप में सरल घोषणा पर्याप्त नहीं है क्योंकि टाटा संस लिमिटेड बनाम मनोज डोडिया और अन्य में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित जाँच का पालन नहीं किया गया है। तब यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता व्यादेश की राहत का हकदार नहीं था क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 1 स्वयं पहले से ही विभिन्न वर्गों में आक्षेपित चिह्न 'विस्तारा' का एक पंजीकृत मालिक था। फिर, भोले बाबा मिल्क फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पारुल फूड स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कार्ल्सबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम रेडिको खेतान लिमिटेड, मैरिको लिमिटेड बनाम एग्रो टेक फूड्स लिमिटेड और स्काईलाइन एज्केशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस.एल. वासवानी और अन्य पर भरोसा करते ह्ए, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता शब्दकोश शब्द विस्तारा पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है विस्तार और आगे *नंदिनी डीलक्स (पूर्वोक्त)*, एस.एम. डाइकेम लिमिटेड बनाम कैडबरी (इंडिया) लिमिटेड और कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया था कि आक्षेपित चिहन विस्तारा एक (चिहन) चिहन है जबकि अपीलकर्ता का ट्रेडमार्क 'विस्तार' एक (शब्द) चिह्न है और दोनों की समग्र रूप से एक साथ त्लना करने पर, जिसमें ट्रेड ड्रेस, डिजाइन, प्रमुख चिहन में जोड़े गए अतिरिक्त वर्ण शामिल हैं, केवल ध्वन्यात्मक समानता उन्हें समान नहीं

बनाती है। यह भी तर्क दिया गया था कि चूंकि कोई विचारणीय मुद्दा नहीं उठाया गया था, इसलिए कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है जो यह दर्शाती है कि प्रत्यर्थी सं.1 को आक्षेपित चिहन विस्तारा का पंजीकरण देते समय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री संतुष्ट थी। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के समक्ष दिए गए अपने स्वयं के बयान के विपरीत कुछ भी तर्क देने से रोक दिया गया, जो तीसरे पक्ष के 'विस्तार' चिहन के संबंध में था। अंत में, वांडर लिमिटेड और अन्य बनाम एंटॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

15. अपीलकर्ता के विद्वान विरष्ठ अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर तर्कों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से अपनी स्थिति को दोहराया और आक्षेपित आदेश को अपास्त करने और इसके बजाय अंतिरम व्यादेश देने की मांग की।

निष्कर्ष और विश्लेषण:

16. यह न्यायालय, दोनों पक्षकारगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने और संबंधित दस्तावेजों को देखने के बाद पाता है कि निस्सन्देह, (i) अपीलकर्ता को वर्ष 2013 में शामिल किया गया था, अर्थात प्रत्यर्थी सं. 1 के गठन से पहले; (ii) अपीलकर्ता प्रत्यर्थीगण से पहले से ही ट्रेडमार्क 'विस्तारा' का उपयोग कर रहा था, और (iii) प्रत्यर्थीगण ने किसी भी स्तर पर आक्षेपित

चिह्न विस्तारा को अपनाने के लिए कोई स्वीकार्य आधार या कारण नहीं दिया है। उपरोक्त कारक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं, ट्रेडमार्क से ज्ड़े विवाद की जड़ तक जाते हैं क्योंकि 'विस्तारा' शब्द प्रतिस्पर्धी चिहनों में एक प्रमुख हिस्सा बन गया है, और अधिक, क्योंकि प्रत्यर्थीगण ने अपीलकर्ता के पहले से मौजूद पंजीकृत ट्रेडमार्क 'विस्तारा'को वर्ष 2015 में अपने कॉर्पोरेट नाम '*विस्तारा* होम अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड' के रूप में पहली बार अपनाया, दूसरी बार, वर्ष 2016 में एक (युक्ति) चिहन के रूप में और तीसरी बार वर्ष 2018 में इसके डोमेन नाम 'www.*vistara*home.com' के रूप में। यह कि अपीलकर्ता पहले से ही निगमित था, प्रत्यर्थी सं.1 के गठन से पहले से ही ट्रेडमार्क 'विस्तारा' का उपयोग कर रहा था और यह कि प्रत्यर्थी आक्षेपित चिहन विस्तारा को अपनाने के लिए कोई स्वीकार्य आधार या कारण देने में असमर्थ थे, विद्वान विचारण न्यायालय के लिए अपीलकर्ता को अंतरिम आवेदन की अन्मति देने के लिए पर्याप्त कारण थे।

17. प्रत्यर्थीगण हमेशा अपीलकर्ता और उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क 'विस्तारा' के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, दोनों ही आक्षेपित चिहन 'विस्तारा' को अपनाते समय और उसके पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय अंतरिम आवेदन पर उनके स्वयं के जवाब से स्पष्ट होता है जिसमें उन्होंने अभिवाक किया कि वे "... बहुत सतर्क और वे वादी के साथ भ्रमित होने के लिए अपनी चिहन नहीं रखे हैं, यही कारण है कि उन्होंने पूरी तरह से अलग तरीके से

अपने चिहन को निरुपित किया है"। इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण द्वारा आक्षेपित चिहन विस्तारा को अपनाना और उपयोग करना दोनों ही प्रारंभ से ही बेईमानी थे। हालांकि, आक्षेपित आदेश में इसकी अनदेखी की गई है। इसके बावजूद, उक्त चिहन को अपनाने के संबंध में उनके तर्कों और उसके कारणों पर यहां अलग से विचार किया जा रहा है।

18. यह तर्क कि आक्षेपित चिहन विस्तारा संस्कृत सहित विभिन्न भाषाओं में अर्थ रखने वाला एक सामान्य शब्दकोशीय शब्द है, गलत है, क्योंकि विस्तारा शब्द न तो एक सामान्य शब्द है और न ही किसी भी भाषा के शब्दकोश में पाया जाता है और अधिक से अधिक, संस्कृत शब्द 'विस्तार' का केवल ट्युत्पन्न है। यह शब्द 'विस्तारा' को एक सामान्य शब्दकोश शब्द के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा अपनाया गया ट्रेडमार्क 'विस्तारा' एक आविष्कृत शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है, विशेष रूप से इसलिए कि यह अलग, असंबद्ध, स्वेच्छित है और न तो समानार्थी है और न ही किसी विशेष श्रेणी की सेवाओं/वस्त्ओं से संबंधित है और जो इसके द्वारा सदाशयता से और वास्तव में अपनाया गया था। अपीलकर्ता का उक्त ट्रेडमार्क 'विस्तारा'इस प्रकार स्वेच्छित और विशिष्ट है। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने स्वयं आक्षेपित चिहन विस्तारा के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, यह दर्शाता है कि वे इससे जुड़े मूल्य और महत्व के प्रति सचेत थे। ऐसा करने के बाद, प्रत्यर्थीगण को विभिन्न भाषाओं में एक सामान्य शब्दकोश शब्द होने की आड़ में विपरीत रुख अपनाने से रोक दिया गया है। इसके अलावा, यह सुस्थापित विधि है कि एक आवेदक जिसने स्वयं उसी शब्द/ चिहन के पंजीकरण की मांग की है, वह यह दावा नहीं कर सकता है कि यह एक सामान्य शब्दकोशीय शब्द है। आक्षेपित आदेश में इसका कोई संदर्भ नहीं है। 19. तथ्य यह है कि हालांकि प्रत्यर्थी नंबर 1 ने आक्षेपित चिहन



के पंजीकरण की मांग की थी, लेकिन इसके

बजाय हमेशा आक्षेपित चिहन

का उपयोग किया है, जो विस्तारा शब्द के महत्व/प्रासंगिकता को दर्शाता है और यह हमेशा दोनों में एक प्रमुख चयनात्मक कारक रहा है, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा विस्तारा शब्द के महत्व से अवगत थे और केवल उसी में रुचि रखते थे। यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि प्रत्यर्थी सं.1 ने अपीलकर्ता और उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क 'विस्तारा' के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दरिकनार करने के लिए एक (शब्द) चिहन के बजाय (युक्ति) चिहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का विकल्प चुना। किसी भी स्थिति में, चूंकि प्रत्यर्थीगण के विवादित चिहन विस्तारा (युक्ति) को हमेशा आम जनता द्वारा विस्तारा शब्द के रूप में संदर्भित किया जाएगा, देखा और कहा जाएगा, यह बहुत ही असंभव है कि औसत बुद्धि और सामान्य याददाश्त

का व्यक्ति अपीलकर्ता के पंजीकृत ट्रेडमार्क 'विस्तारा'के साथ उक्त चिहन में अंतर करने में सक्षम होगा, जिससे पूरी संभावना है कि भ्रम पैदा होगा। आक्षेपित आदेश में उपरोक्त का कोई उल्लेख नहीं है।

20. इसी तरह, इस न्यायालय की राय में, यह पता लगाने के बाद कि दो प्रतिस्पर्धी चिहनों के बीच "... ... बह्त अधिक असमानता....." नहीं रही क्योंकि दोनों में "... ... ध्वन्यात्मक समानता है", विद्वान विचारण न्यायालय के लिए व्यादेश की राहत से इनकार करने का कोई अवसर नहीं था, केवल इसलिए कि प्रत्यर्थीगण ने विभिन्न वर्गीं/उत्पादों में आक्षेपित चिह्न विस्तारा को अपनाया और इस्तेमाल किया, इससे भी अधिक, जहाँ से अपनाया वह स्वयं दागदार था और किसी भी भौतिक विवरण दवारा समर्थित नहीं था। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह घिसा-पिटा है कि प्रतिस्पर्धी चिह्नों को समग्र रूप से देखा और लिया जाना चाहिए। वास्तव में, जिस बात पर विचार किया जाना है, वह समग्र प्रभाव/छाप है जो वे आम जनता और व्यापार के सदस्यों के दिमाग पर छोड़ते हे हैं। सब कुछ ध्यान में रखते ह्ए, एक ट्रेडमार्क 'यह क्या है' है, अर्थात, नाम जिससे यह पहचाना जाता है, उससे अधिक यह कैसा लगता है या कैसा दिखता है या इसका प्रकार क्या है, जैसा कि इस न्यायालय की राय में, विचार के लिए प्रासंगिक कारक होने के बावजूद उपरोक्त ट्रेडमार्क वास्तव में क्या जाना जाता है, इसके लिए अमुख्य हैं। इसके लिए, भले ही कोई चिहन एक (शब्द) चिहन है और दूसरा कोई (युक्ति) चिहन है, इसका शायद ही कोई महत्व है, एक बार विद्वान विचारण न्यायालय ने पहले ही अभिनिर्धारित किया कि परस्पर विरोधी चिहन बहुत अधिक भिन्न नहीं हैं और ध्वन्यात्मक रूप से समान हैं। समानता महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दोनों प्रतिस्पर्धी चिहन समान हैं, उनमें से एक (युक्ति) चिहन होने के बावजूद।

21. हालांकि प्रत्यर्थीगण ने आक्षेपित चिह्न विस्तारा को अपनाने का भी तर्क दिया क्योंकि इसका अर्थ विस्तार है, *हालांकि*, यह न्यायालय एक बार फिर उक्त तर्क से सहमत होने में असमर्थ है, क्योंकि यह न तो एक सामान्य शब्द है और न ही शब्दकोश में विद्यमान शब्द है। इसके अलावा, हालांकि प्रत्यर्थी सं. 1 ने जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, एलसीडी, एलईडी, डीवीडी, होम-थिएटर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल एक्सेसरीज, एयर कूलर, पंखा, टॉर्च, इस्तरी, एसी, फ्रिज आदि के लिए वर्ग 7, 9 और 11 में आक्षेपित चिह्न विस्तारा का पंजीकरण किया है, चालान और प्रचार सामग्री से पता चलता है कि प्रत्यर्थी केवल बेहद कम बिक्री वाले एयर क्लर से संबंधित कच्चे माल का कारोबार कर रहे हैं। जाहिर है, प्रत्यर्थीगण ने इसे अपनाने के बाद से किसी भी नए उत्पाद का विस्तार नहीं किया है। इस प्रकार, उक्त तर्क स्पष्ट रूप से बाद में सोचा गया और बिना ग्णाग्ण का है। किसी भी स्थिति में, यह स्स्थापित विधि है कि बाजार में विद्यमान या उपस्थित चिहन या ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के सामने रजिस्टर में चिहन पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा, उपयोग का कोई सबूत नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी वर्ग 7, 9 और 11 में आने वाले किसी भी उत्पाद के लिए उसके उपयोग का कोई प्रमाण दिखाने में असमर्थ हैं, ये वे वर्ग हैं जिसमें यह पंजीकृत है। आक्षेपित आदेश में उपरोक्त पर विचार नहीं किया गया है।

22. इस प्रकार, यह दलील/तर्क देने के बावजूद कि प्रत्यर्थीगण ने विभिन्न अन्बंधों में प्रवेश किया है, गहरे व्यापार चैनल, व्यापार नेटवर्क और संचालन के उद्योग स्थापित किए, और उनके पास कई आश्रित कर्मचारी हैं और व्यादेश के परिणामस्वरूप उन्हें ग्राहकों का नुकसान होगा, इसके बारे में कुछ भी सबूत नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि प्रत्यर्थीगण द्वारा आक्षेपित चिहन को अपनाना रहस्य में डूबा ह्आ है, इस तरह का उपयोग बह्त कम प्रासंगिक हो सकता है। इस प्रकार, विदवान विचारण न्यायालय प्रत्यर्थीगण दवारा किए गए निराधार दावों को मानने में गंभीर त्रुटि की है, विशेष रूप से जहां पहले अभिलेख पर कहीं भी क्छ भी नहीं था। इसके अलावा, भले ही ऐसा माना जाता है, प्रत्यर्थीगण दवारा आक्षेपित चिह्न विस्तारा को बेईमानी से अपनाने के साथ, टी.एम. अधिनियम की धारा 12 संदिग्ध परिस्थितियों में प्रत्यर्थीगण की सहायता के लिए नहीं आ सकती है। ट्रेडमार्क कानून में यह स्स्थापित सिद्धांत है कि "अपनाने" को उपयोग पर प्राथमिकता दी जाती है और किसी चिहन को गलत तरीके से अपनाने के बाद किसी भी बाद के उपयोग को कोई विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती है/नहीं दी जानी चाहिए। इस न्यायालय का मानना है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा गलत तरीके से अपनाए जाने और आक्षेपित चिहन विस्तारा के अनुचित उपयोग को अनुचित महत्व दिया गया है क्योंकि यह उनसे बिना किसी स्पष्टीकरण के गलत प्रचार कर रहा था।

23. एक ही वर्ग में और अपीलकर्ता समान वस्त् के लिए आक्षेपित चिहन विस्तारा को न अपनाना और उपयोग न करना वर्तमान कार्यवाही के लिए कोई सार नहीं है क्योंकि वर्ग विभेदन और/या वर्ग भेद का कोई परिणाम नहीं है जब तक कि प्रत्यर्थी सं.1 जैसे पक्षकार द्वारा चिहन को अपनाना स्वयं कपटपूर्ण और संदिग्ध परिस्थितियों में और बिना किसी स्पष्ट कारण के धोखेबाज और दागदार है। अपनाने की मंशा को अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है, खासकर जब यह प्रत्यर्थी सं.1 की तरह बाद के अपनाने वाले का मामला हो, जो अलग-अलग वर्ग में सामान चिहन प्राप्त करता है। बेशक, यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता ट्रेडमार्क 'विस्तारा' का पूर्व अपनाने वाला और पूर्व उपयोगकर्ता दोनों है और प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाने और उपयोग सभी बाद के समय में होता है। इस प्रकार, केवल इसलिए कि प्रतिस्पर्धी चिहनों का उपयोग किया जाता है और एक अलग वर्ग में पंजीकृत किया जाता है, इससे भी अधिक महत्वहीन है, जब अपनाना प्रत्यर्थीगण से स्पष्टता के बिना होता है। टी.एम. अधिनियम किसी भी पक्ष द्वारा, किसी तीसरे पक्ष द्वारा चिहन को गलत ढंग से अपनाने को मान्यता नहीं देता है क्योंकि ऐसा कोई भी अपनाना अधिनियम की धारा 29 के विपरीत होगा। विद्वान विचारण न्यायालय ने, अपीलकर्ता द्वारा ट्रेडमार्क 'विस्तारा' के वास्तविक अपनाने और निरंतर उपयोग को नजरअंदाज करते हुए, विधि और तथ्यों के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए, उस वर्ग/उत्पादों को ध्यान में रखा है जिसके लिए इसका उपयोग किया गया था/किया जा रहा है।

24. इसके अलावा, अपीलकर्ता के पंजीकृत ट्रेडमार्क 'विस्तारा' को 'प्रसिद्ध चिहन' मानते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के साथ इसके संबंध, अस्तित्व और लोकप्रियता को उचित महत्व देने की उपेक्षा की क्योंकि वे निश्चित रूप से प्रासंगिक कारक हैं जो किसी भी चिहन के लिए विचारणीय हैं, जिसे इस तरह घोषित किया जाना चाहिए, खासकर तब जब विधायिका ने अपने ज्ञान में जानबूझकर पहले से मौजूद पंजीकृत ट्रेडमार्क की तुलना में बेहतर स्रक्षा प्रदान की है। यह कि सेवाएं और उत्पाद शब्दकोश में पाए जाने वाले कई सामान्य मौजूदा शब्दों के तहत उपलब्ध हैं/उपयोग किए जा रहे हैं और आगे कि वे समय-समय पर विधिवत पंजीकृत किए गए हैं, यह दर्शाता है कि एक सामान्य शब्दकोश शब्द, वास्तव में, समय बीतने के साथ ट्रेडमार्क के रूप में अपनी योग्यता और पंजीकरण के लिए हकदार है, जिससे एक इकाई इस पर एकाधिकार प्राप्त कर लेती है, बशर्ते इसे किसी विशेष वर्ग में आने वाली विशेष सेवाओं या उत्पादों के लिए अपनाया और उपयोग किया गया हो, जिसके साथ इसका कोई प्रत्यक्ष संदर्भ, संबंध या अर्थ नहीं है और यह भी कि समय के साथ इसने न केवल विशिष्टता हासिल कर ली है, बल्कि इसके साथ एक गौण अर्थ भी जुड़ा हुआ है। यह दोहराया गया है कि एक बार ट्रेडमार्क पंजीकृत हो जाने के बाद यह टी.एम. अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त और उपलब्ध सभी वैधानिक स्रक्षा के लिए पूर्णतया और सही मायने में हकदार है। यही कारण है कि, विधि (टी.एम. अधिनियम) के अनुसार जब *धारा 2 (ड)* के तहत किसी शब्द को टी.एम. अधिनियम के तहत 'चिहन' के रूप में अपनाया जाता है, तो यह न केवल टी.एम. अधिनियम की धारा 2(त) के अन्सार एक व्यापार चिहन बनने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है, बल्कि समय बीतने के साथ, निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है और टी.एम. अधिनियम की *धारा 2(यछ)* के अनुसार 'प्रसिद्ध चिहन' बनने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है। चिहन की स्थिति समय-समय पर विकसित और बदलती रहती है और कभी भी स्थिर नहीं रहती है। इसके बावजूद, वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, अपीलकर्ता का ट्रेडमार्क 'विस्तारा' एक गढ़ा ह्आ और आविष्कार किया गया शब्द है जिसका शब्दकोश या आम बोलचाल में कोई प्रत्यक्ष संदर्भ या अर्थ नहीं पाया जाता है। इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में उपरोक्त का कोई संदर्भ नहीं मिला। हालांकि अपीलकर्ता के पास वर्ग 7, 9 और 11 को छोड़कर अन्य वर्गों में ट्रेडमार्क 'विस्तारा' के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण है, हालांकि, इसने प्रत्यर्थीगण को एक स्मरण नोटिस के बाद कानूनी नोटिस जारी किया और फिर उनके खिलाफ वाद संस्थित किया जिसका अर्थ है कि अपीलकर्ता के पास अपने निशान का विस्तार करने का स्पष्ट इरादा था। इसके अलावा, टाटा संस, अपीलकर्ता 51% बह्मत शेयरधारक पहले से ही एफ.एम.सी.जी. उत्पादों पर काम कर रहा था/कर रहा है, जिसका अर्थ है कि अपीलकर्ता पहले से ही शामिल था और वर्ग 7, 9 और 11 में आने वाले उत्पादों से संबंधित था, जिसमें प्रत्यर्थीगण ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। ये सभी विचारणीय तथ्य थे जिन्हें अंतरिम आवेदन के न्यायनिर्णयन के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इस प्रकार, केवल इसलिए कि प्रतिस्पर्धी चिहन विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग वर्गों में पंजीकृत किए गए थे, अपीलकर्ता को अंतरिम व्यादेश की राहत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। उपरोक्त, इस न्यायालय के मद्देनजर, कानून की सुस्थापित स्थित के विपरीत है।

26. प्रत्यर्थीगण द्वारा संदिग्ध परिस्थितयों में आक्षेपित चिह्न विस्तारा को विकृत रूप से अपनाना, जो पूरे मामले में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक विचारणीय कारक है, जिससे इस न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता को अंतरिम आवेदन की अनुमित दी जानी चाहिए। एक बार अपनी आंखें और कान खोलकर आक्षेपित चिह्न 'विस्तारा' को अपनाने के बाद, प्रत्यर्थीगण के लिए ग्राहकों, व्यापार चैनलों और संचालन के उद्योग के उपयोग या अनुमानित नुकसान की भरपाई करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और तब से बहुत कुछ हो चुका है। प्रत्यर्थीगण को ऐसा करने से रोका गया और उन्हें बिना किसी ठोस कारण के अपनाने के लिए उनके कथित गलत, निरंतर उपयोग का लाभ उठाने की अनुमित नहीं दी

जा सकती है। तथ्य यह है कि प्रत्यर्थीगण न तो दावा कर सकते हैं और न ही आक्षेपित चिहन विस्तारा में अपनी कथित प्रसिद्धि का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि वे महत्वहीन हैं क्योंकि अंतरिम आवेदन पर निर्णय लेते समय अनदेखी की गई थी।

27. प्रत्यर्थी सं. 1 के अलावा तीसरे पक्ष का अस्तित्व, जो या तो विस्तारा को अपने कॉर्पोरेट नाम के रूप में उपयोग कर रहे हैं या इसे एक चिहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, सारहीन है और वर्तमान विवाद के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि स्स्थापित विधि के मद्देनजर, एक पंजीकृत मालिक अपनी अंगूठी का मालिक होता है और उससे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह अपने ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक उल्लंघनकर्ता का पीछा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और अपनी इच्छा से किसी भी उल्लंघनकारी पक्ष के खिलाफ, यदि कोई हो, उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अपीलकर्ता जैसा पंजीकृत मालिक को अपनी पसंद के किसी भी पक्षकार के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है और प्रत्यर्थीगण के पास इसके लिए क्छ कहने/बचाव नहीं हो सकता है क्योंकि यह उसी की पसंद का मामला है आक्षेपित आदेश में पूरी तरह से इसे नजरअंदाज किया गया है।

28. इसी प्रकार, यह तथ्य कि अपीलकर्ता ने ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के समक्ष वर्ग 12 और 39 में अपने ट्रेडमार्क 'विस्तारा' के पंजीकरण के समय किसी तीसरे पक्षकार के नाम पर पहले से पंजीकृत ट्रेडमार्क 'विस्तार' से संबंधित जारी जाँच रिपोर्ट के जवाब में कुछ बयान दिया था, प्रत्यर्थीगण की सहायता नहीं कर सकता क्योंकि यह न तो इसमें शामिल पक्षकारगण से संबंधित कार्यवाही में था और न ही इसे आक्षेपित चिहन विस्तारा के संदर्भ में बनाया गया था। उक्त कार्यवाही ट्यिक्तगत रूप से होने के कारण इस न्यायालय के समक्ष पक्षकारगण से जुड़े विवादों पर लागू नहीं होती है। अन्यथा भी, यह तथ्य कि उक्त बयान वर्ष 2014 में दिया गया था, जबिक वर्तमान वाद 2021 में संस्थित किया गया था, लगभग सात साल की अविध के बाद जहां ट्रेडमार्क 'विस्तार' का कद बढ़ गया है, अपने लिए पर्याप्त साख और प्रसिद्धि सृजित कर ली है और अपीलकर्ता के साथ पूरी तरह से मान्यता प्राप्त और संबद्ध भी है, एक प्रासंगिक कारक था जिस पर विचार नहीं किया गया था।

- 29. अपीलकर्ता को पूर्व अपनाने वाला और तदनुसार ट्रेडमार्क 'विस्तारा' का पूर्व उपयोगकर्ता पाया जाने के बाद, इस न्यायालय की राय में, विद्वान विचारण न्यायालय के लिए व्यादेश से इनकार करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि यह प्रत्यर्थीगण द्वारा आक्षेपित चिहन विस्तारा को बिना किसी कारण के अपनाए जाने के समय 'प्रसिद्ध चिहन' नहीं था।
- 30. इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा संस्थित वाद, प्रत्यर्थी सं.1 के खिलाफ एक पंजीकृत मालिक होने के नाते, एक पंजीकृत मालिक भी है, अपीलकर्ता द्वारा संस्थित वाद अत्यधिक पोषनीय है, क्योंकि टी.एम. अधिनियम

अपीलकर्ता को एक पंजीकृत मालिक और वैध रूप से मौजूदा पंजीकृत ट्रेडमार्क का धारक होने के कारण प्रतिबंधित नहीं करता है। न्यायालय भी, शामिल तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, एक पंजीकृत मालिक के पक्ष में कोई अंतरिम राहत देने के लिए स्वतंत्र है।

31. तथ्य यह है कि अपीलकर्ता ने ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के समक्ष प्रत्यर्थीगण के खिलाफ कभी भी कोई कार्यवाही श्रू नहीं की, शायद ही कोई महत्व है, क्योंकि एक नए दिन की स्बह अपने साथ नई श्रुआत लाती है। इसी तरह, प्रत्यर्थीगण द्वारा बिना किसी वास्तविक आशय, औचित्य और ठोस कारणों के आक्षेपित चिह्न 'विस्तारा' को अपनाने से हर ग्जरते दिन के साथ नए वाद हेत्क सामने आते हैं (*बंगाल वाटरप्रुफ लिमिटेड बनाम बॉम्बे वाटरप्रुफ मैन्य्फैक्चरिंग कंपनी* और अन्य)। अन्यथा भी, यह स्थापित किया गया है कि अपीलकर्ता प्रत्यर्थीगण के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में सतर्क था क्योंकि प्रत्यर्थीगण द्वारा आक्षेपित चिह्न विस्तारा को अपनाने के बारे में पता चलने पर, इसने एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिसके बाद एक स्मरण-पत्र जारी किया गया, दोनों का तामील के बावजूद भी कभी उत्तर नहीं दिया गया, और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष यह दलील देते हुए वाद संस्थित किया गया कि वह प्रत्यर्थीगण दवारा आक्षेपित चिह्न विस्तारा के पंजीकरण के लिए कार्रवाई करने पर विचार कर रहा था। इसके अलावा, निस्सन्देह प्रत्यर्थी सं. 1 ने बिना किसी तर्कसंगत आधार के अपीलकर्ता के बाद आक्षेपित चिहन विस्तारा का पंजीकरण

प्राप्त किया, यह एक महत्वपूर्ण कारक था जिसे विचारण न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया।

<u>निष्कर्ष:</u>

33. संक्षेप में, यह न्यायालय, अपीलकर्ता के लिए विदवान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्त्त तर्कों से सहमत होने के कारण, आक्षेपित आदेश को विधि के स्स्थापित सिद्धांतों के विपरीत पाता है, और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्कों या निष्कर्षों से सहमत नहीं है। उपरोक्त इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि विदवान विचारण न्यायालय ने या तो उन पर विचार नहीं किया है या यदि विचार किया है, तो विधि और तथ्यों के स्स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ गलत तरीके से ऐसा किया है। इस प्रकार, इस न्यायालय को विदवान विचारण न्यायालय दवारा निकाले गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के एक से अधिक कारण हैं, जो यह न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जो अन्चित है और सही नहीं है, उसे पूर्ववत करने के लिए कर सकता है। 34. ऊपर उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, कानून और तथ्यों की गंभीर त्र्टियों को स्धारने के लिए, आक्षेपित आदेश को अपील के चरण में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है और अपास्त किया जा सकता है। इस न्यायालय को *रामदेव फूड प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम अरविंदभाई* रामभाई पटेल और अन्य और स्काईलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित से समर्थन

मिलता है और वांडर (पूर्वीक्त) में जो अभिनिर्धारित किया गया है, निम्नानुसार है:

"14. खंडपीठ के समक्ष अपील एकल न्यायाधीश द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के खिलाफ थी। ऐसी अपीलों में, अपील न्यायालय प्रथम हष्ट्या न्यायालय के विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगी और अपने स्वयं के विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित नहीं करेगी, सिवाय इसके कि जहां विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से, या स्वेच्छाचारी से या विकृत रूप से किया गया है या जहां अदालत ने प्रतिपादन को विनियमित करने वाले विधि के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की थी या या अंतर्वर्ती व्यादेश का खंडन किया था। विवेकाधिकार के प्रयोग के खिलाफ अपील को सैद्धांतिक रूप से अपील कहा जाता है। अपील न्यायालय सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगी और निचली अदालत द्वारा पहुंचे गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगी यदि उस अदालत द्वारा पहुंचा गया सामग्री यथोचित रूप से संभव था।"

35. नतीजतन, उपरोक्त तर्कों और निष्कर्षों के मद्देनजर, इस न्यायालय को वर्तमान अपील को आवेदन यिद कोई हो, के साथ-साथ अनुमित देने में कोई संकोच नहीं है, और विद्वान विचारण न्यायालय के 28 अक्टूबर, 2021 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है, पक्षकारगण को संबंधित जुर्माना वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

न्या. सौरभ बनर्जी

न्या. मनमोहन

मई 31, 2023/ए.के.आर.

(Translation has been done through Al Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है तािक वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।